न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–60 / 2023(जीसीएमएस नम्बर 2023 / 198)

1. सत्यनाराण पुत्र श्री जौहरीलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी डिडवाना तहसील लालसोट हाल निवासी आलूदा खुर्द तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

––अपीलान्ट

बनाम

1. लखनलाल पुत्र जौहरीलाल ब्राहम्ण निवासी डीडवाना लालसोट रोड़ तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री हेमराज गुर्जर एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रामबाबू शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

दिनांकः–26.07.2024

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आपस में सहोदर भाई है जो जौहरीलाल के पुत्र है। जौहरीलाल का विवाह सरजू देवी से सम्पन्न हुआ जिससे एक पुत्र लखनलाल पैदा हुआ। जौहरीलाल की प्रथम पत्नि की मृत्यु के उपरान्त जौहरीलाल का दूसरा विवाह कमला देवी से हिन्दू रिति–रिवाजों से कागा की ढाणी आलूदा खुर्द में सम्पन्न हुआ था। इस प्रकार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सख्या 1 एक ही पिता जौहरी लाल की जायन्दा संतान है। जौहरी लाल की मृत्यु उपरान्त पैतिक सम्पत्ति ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 4891 दिनांक 05.07.2013 को अपीलान्ट सत्यनारायण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लखनलाल के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मजमेआम में विरासत की जांच कर सजरा प्रमाण पत्र जारी किया गया एवं नामान्तरकरण खोला गया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट लखनलाल द्वारा नामान्तरकण संख्या 4891 के विरूद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर लालसोट के समक्ष अपील पेश की गई जिसका दिनांक 21.06.2017 को नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

लालसोट को रिमाण्ड किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण में शपथ पत्र रेवड, कैलाश, रामनारायण, लखनलाल के रिकार्ड पर लिये गये जिनसे जिरह की गई जिससे यह स्पष्ट हो गया कि लखनलाल व सत्यनारायण स्व. जौहरीलाल की ही संतान है। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लखनलाल द्वारा दिनांक 09.04.2023 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि राजस्व न्यायालय को विरासत करने का अधिकार नही है, उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2023 को निर्णय होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि वह सक्षम न्यायालय से यह तय करावे की कि किसकी संतान है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरित आदेश पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लखनलाल के विरूद्ध न्यायालय एसीजेएम लालसोट द्वारा दिनांक 08.02.2023 को धारा 420 आई.पी.सी. के तहत प्रसंज्ञान लिया गया जिसकी कार्यवाही जेरे लम्बित है जिससे भी स्पष्ट है कि लखनलाल छल पूर्ण तरीके से सम्पूर्ण सम्पत्ति जौहरीलाल को हड़पना चाहता है। लखनलाल द्वारा स्वयं को दोषी होना मानकर न्यायालय से जमानत पर रिहा हुआ है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची में अंकित न्यायिक मामलों की सूची के क्रम संख्या 7 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि उत्तराधिकार हस्तान्तरण या अन्यथा स्थिति में नामान्तरकरण के प्रकरणों का क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त हैं। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 23 की उपधारा (2) में पैत्रिक मामलों को परिभाषित किया गया है कि वह कार्यवाही जिसमें किसी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी को उसके कार्यवाही के पक्षों के अधिकार तथा दायित्वों का निर्धारण करना व कार्यवाहियो तथा आज्ञाऐ तथा इसके साथ–साथ प्रथम अनुसूची में उल्लेखित मामलों के संयोजन के लिये न्यायिक मामले होंगे। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चतुर्थ अनुसूची की धारा 208 सूची प्रथम में भी स्पष्ट प्रावधान किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराये व आदेश जो लागू नही होंगे उनमे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 राजस्व न्यायालयों में लागू नही होगी तो फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरित मनमर्जी पूर्ण बैजा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2023 पारित किया है जो विधि विधान एवं कानूनी प्रक्रियाओं के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 से साजकर अपीलान्ट के हक अधिकारों के विपरित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के रिमाण्ड आदेश दिनांक 21.06.2017 बाद सुनवाई पक्षकारों की सूचित व सुनवाई के बाद धारा 135(2) के तहत वांछित जॉच कर नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में ली जावें की भी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पालना नही कर न्यायालय की अवमानना कारित की गई। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2023 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 4891 मृतक जौहरी लाल ब्राहाम्ण की विरासत के सम्बन्ध में एक अपील रेस्पोडेन्ट लखनलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 4891 को दिनांक 21.06.2017 को बाद सुनवाई तहसीलदर लालसोट को विधि सम्मत सुनवाई हेतु प्रेतिप्रेषित कर दिया गया जिसकी पालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण को अपने न्यायालय में दर्ज कर दिनांक 26.10.2017 को पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष के वकील सहिबान उपस्थित आये। प्रकरण की लिखित सुनवाई तहसीलदार लालसोट द्वारा की गई। रेस्पोडेन्ट लखनलाल द्वारा अपने समर्थन में साक्ष्य पेश की गई। दस्तावेज के रूप में कमला देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 23.02.1962 प्रस्तुत किया गया। अपीलान्ट सत्यनारायण की जन्म तिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका की कॉपी पेश की गई। सत्यनारायण का पहचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण में तलब किया गया रिपोर्ट दिनांक 03.05.2019 राधेश्याम जागा द्वारा दी गई सजरा वंशावली पत्रावली में प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल किये गये। प्ररकण में रेस्पोडेन्ट की ओर से अपने समर्थन में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र भिन्न–भिन्न पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। लखनलाल की ओर से साक्ष्य रेवड़मल माली कैलाश चन्द्र ब्राहम्ण व स्वयं का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये। मुताबिक साक्ष्य रेस्पोडेन्ट लखनलाल के अनुसार जौहरी लाल की मृत्यु ग्राम डिडवानज्ञ में दिनांक 15.11.1998 को हुई थी। जौहरीलाल की मृत्यु पश्चात् उसका नुक्ता नेवला व पगड़ी दस्तूर सारे सामाजिक कार्य लखनलाल द्वारा किये गये थे। अपीलान्ट सत्यनारायण जौहरीलाल का लड़का नही है। उसे कभी ग्राम डिडवाना में नही देखा गया सत्यनारायण जौहरीलाल की दूसरी पत्नी कमला देवी की सन्तान नही है। इस प्रकार प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों के आधार पर कानूनी प्रश्न यह सामने आता है। आया कि सत्यनारायण जौहरीलाल का पुत्र है या नही। उक्त प्रकरण जौहरीलाल की विरासत एवं उत्तराधिकार से सम्बन्धित है। यहॉ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट का यह निर्णित करना है कि सत्यनारायण जौहरीलाल का उत्तराधिकारी है या नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि सत्यनारायण अपीलान्ट की जन्मतिथि दिनांक 19.01.1963 है जबकि उसकी माता कमली देवी का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

P.T.O.

इंतकाल दिनांक 23.02.1962 को हो गया था अर्थात एक वर्ष पूर्व कमली देवी मर गई तो सन् 1963 में सत्यनारायण का जन्म कैसे हुआ। इससे स्पष्ट है कि सत्यनारायण जौहरीलाल की सन्तान नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार लालसोट ने सम्बन्धित साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् प्रकरण में मृतक जौहरीलाल के वारिसान की स्थिति स्पष्ट नही हो पाई है। इस प्रकरण में दिनांक 15.04.2023 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके जवाब उपरान्त दिनांक 19.07.2023 को प्रकरण इस स्तर पर निर्णित माना गया कि उत्तराधिकार से सम्बन्धित प्रकरण होने के कारण सिविल न्यायालय द्वारा तय किये जाने योग्य है। लिहाजा प्रकरण इस स्तर पर ही निर्णित कर दिया गया कि अपीलान्ट सत्यनारायण सिविल न्यायालय से तय करावें कि वह किसकी सन्तान है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा उक्त प्रकरण उत्तराधिकारिता से सम्बन्धित होने के कारण सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य माना है जो सही है। यदि सत्यनारायण अपीलन्ट मृतक जौहरीलाल की सन्तान है तो यह प्रश्न सिविल न्यायालय से तय करावें तद्पश्चात् नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

हंमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रकरण में वल्दीयत के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् प्रस्तुत किये गये अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा लखनलाल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 में प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से भी यह जाहिर है कि सत्यनारायण की वल्दीयत पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर पूर्णतः साबित नही हो पा रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.07.2023 जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि उत्तराधिकार का बिन्दू सिविल न्यायालय द्वारा ही तय करवाया जाना है, में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतित नही होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति संभागीय आयुक्त